मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

भोपाल दिनांक 12 जुलाई 2006

क्रमांक. 1740–म.प्र.विनिआ –2006 – विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का आ. 790 (अ) दिनांक 8 जून, 2005 द्वारा ''विद्युत (कठिनाईयों हटाना) आदेश, 2005'' जो कि ''विद्युत प्रदाय संहिता के अन्तर्गत विद्युत की चोरी नियंत्रण करने के उपायों को सम्मिलित किये जाने'' से संबंधित है, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा क्रमांक 861–विनिआ –04 दिनांक 27 मार्च, 2004 द्वारा अधिसूचित म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में निम्नानुसार संशोधन/परावर्धन करता है जो कि वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में किसी व्यक्ति के परिसर में अथवा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा विद्युत चोरी किये जाने का पता लगने पर तथा इसकी चोरी/अनाधिकृत उपयोग को रोके जाने की दिशा में दिशा–निर्देश विनिर्दिष्ट किये जाने से संबंधित हैं ।

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में सातवां संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ**

(i) यह संहिता ''**मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (सातवां संशोधन) (क्रमांक एजी–1 (vii), वर्ष 2006)**'' कही जावेगी ।

(ii) यह संहिता मध्यप्रदेश शासन के मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी।

(iii) इस संहिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

2. **अध्याय–2 में संशोधन**

(i) **मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004,** जिसे इसके बाद प्रधान संहिता कहा जावेगा, **उप–अनुच्छेद 2.1 (घ) (i)** (म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता (एजी–1(v), वर्ष 2006) द्वारा अर्न्तस्थापित), **के उपरांत** निम्न परिभाषा अर्न्तस्थापित की जावे, अर्थात् :

''2.1 (घ) (ii) ''प्राधिकृत अधिकारी'' से तात्पर्य है अधिनियम की धारा 135 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई प्राधिकृत अधिकारी ।''

(ii) **उप अनुच्छेद 2.1 (क ठ) के अन्त में** निम्न परिभाषा अर्न्तस्थापित की जावे, अर्थात् :

''2.1 (कठ) (i) ''विद्युत की चोरी'' का वही अर्थ होगा जैसा कि वह इसके लिये अधिनियम की धारा 135 के अन्तर्गत नियत किया गया है ।''

(iii) **उप अनुच्छेद 2.1** (कड) **के अन्त में**, निम्न परिभाषा अर्न्तस्थापित की जावे, अर्थातः

''2.1 (कड) (i) ''व्यक्ति'' से तात्पर्य है कोई व्यक्ति अथवा व्यक्ति–समूह अथवा किसी परिसर अथवा स्थान का अधिवासी अथवा धारक जो कि उपभोक्ता या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है तथा इस श्रेणी में सम्मिलित होंगे कोई कंपनी अथवा निगमित निकाय

अथवा संघ अथवा व्यक्ति–निकाय जो कि निगमित अथवा अनिगमित हों अथवा विधि–संगत विधि–पुरूष हो ।''

3. **अध्याय–10 में संशोधन**

प्रमुख संहिता में **अनुच्छेद 10.22** के अन्त में निम्न अध्याय अर्न्तस्थापित किया जावे, अर्थात् :

''अध्याय 10 (अ) – विद्युत की चोरी

10 (अ) प्रस्तावना

10 (अ) 1.1 अधिनियम की धारा 135 विद्युत की चोरी को प्रतिबंधित किये जाने विषयक है।

10 (अ) 1.2 विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने का.आ. 790 (अ) दिनांक 8 जून, 2005 द्वारा शीर्षक ''विद्युत कठिनाईयां हटाना आदेश, 2005'' द्वारा आयोग को विद्युत प्रदाय संहिता में निम्न दर्शाये विवरण के अनुसार विद्युत की चोरी पर नियंत्रण करने के लिये उपायों को शामिल किये जाने बाबत् निर्देशित किया है :

(1) अधिनियम की धारा 50 के अधीन राज्य आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट विद्युत प्रदाय संहिता में निम्नलिखित भी शामिल होंगे, नामतः –

(i) उपयुक्त न्यायालय द्वारा अधिनिर्णयन होने तक विद्युत की चोरी के मामले में देय विद्युत प्रभार के आकलन की विधि;

(ii) विद्युत की चोरी अथवा अनधिकृत प्रयोग के मामले में विद्युत की आपूर्ति विच्छेदित करना और मीटर, विद्युत लाईन, विद्युत संयंत्र और अन्य उपकरण हटाना; और

(iii) विद्युत की विपथन (Diversion), चोरी तथा विद्युत के अनधिकृत प्रयोग अथवा विद्युत संयंत्र, विद्युत लाईन अथवा मीटर से छेड़छाड़ करने, खतरे में डालने अथवा क्षति पहुंचाने को रोकने के लिये उपाय ।

(2) विद्युत प्रदाय संहिता में उपर्युक्त उपबंध अधिनियम अथवा अन्य कानून के अधीन अनुज्ञप्तिधारी की परिसंपत्तियों अथवा हितों के संरक्षण के लिये तथा देय राशि वसूल करने के लिये अनुज्ञप्तिधारी के अन्य अधिकारों को प्रभावित किये बिना होंगे ।

10 (अ) 1.3 अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप प्रक्रिया के क्रियान्वयन में चोरी को रोके जाने तथा उसका पता लगाये जाने हेतु एकरूपता बनाये जाने की दृष्टि से, ऐसे प्रकरणों में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश का आ. क्रमांक 790 (अ) दिनांक 8 जून, 2005 जो ''विद्युत कठिनाईयां हटाना, आदेश, 2005'' के अन्तर्गत ''विद्युत प्रदाय संहिता में विद्युत की चोरी पर नियंत्रण करने के लिये उपायों'' को शामिल करने में ऐसे प्रकरणों में अनुसरण किये जाने वाले विस्तृत दिशा–निर्देशों को विनिर्दिष्ट किया जाना अत्यावश्यक है । यह विनियम इस प्रकार के प्रकरणों में अनुसरण किये जाने वाले दिशा–निर्देशों को विनिर्दिष्ट करता है ।

10 (अ) 2 विद्युत की चोरी के प्रकरणों में विद्युत प्रभारों के आकलन की विधि

10 (अ) 2.1 विद्युत की चोरी बाबत् प्रावधिक निर्धारण आदेश जारी करना

10 (अ) 2.2 ऐसे प्रकरणों में जहां विद्युत चोरी होना सुस्थित हो जाये, प्राधिकृत अधिकारी पिछले 12 (बारह) माह की विद्युत खपत, कृषि संयोजनों को छोड़कर, अनुच्छेद **10 (अ) 2.3** में दिये गये सूत्र के अनुसार आकलित करेगा तथा प्रयोज्य टैरिफ से दुगुनी दरों पर प्रावधिक निर्धारण आदेश तैयार

करेगा तथा वह उसे संबंधित व्यक्ति को उससे उचित रसीद प्राप्त कर इसकी तामील करेगा । कृषि संयोजनों के प्रकरणों में, विद्युत खपत की आकलन अवधि केवल छः माह की होगी ।

10 (अ) 2.3 विद्युत की चोरी के कारण होने वाली खपत की गणना हेतु आकलन सूत्र निम्नानुसार होगा :—

10 (अ) 2.3.1 निर्धारित किये गये यूनिटों की संख्या = LxDxHxF, जहां

L - भार (निरीक्षण के दौरान पाया गया संयोजित भार) किलोवाट में

D - प्रतिमाह कार्य दिवसों की संख्या जिनके अन्तर्गत चोरी/लघु चोरी किये जाने का संदेह है तथा उपयोग की भिन्न—भिन्न श्रेणियों हेतु इनकी गणना निम्नानुसार की जावेगी :

(ए)	निरन्तर चलने वाला उद्योग	— 30 दिवस
(बी)	निरन्तर न चलने वाला उद्योग	— 25 दिवस
(सी)	घरेलू उपयोग	— 30 दिवस
(डी)	कृषि	— 30 दिवस
(ई)	गैर—घरेलू (निरंतर चलने वाले), अर्थात् अस्पताल, होटल तथा रेस्टॉरेंट, अतिथि—गृह (गेस्ट हाउस), पेट्रोल पंप	— 30 दिवस
(एफ)	गैर—घरेलू (सामान्य), अर्थात्,(ई) से अन्य	— 25 दिवस
(जी)	जल—प्रदाय संयंत्र तथा पथ—प्रकाश	— 30 दिवस

H — प्रति दिवस प्रदाय घंटों का उपयोग है जिसका कि विभिन्न श्रेणियों हेतु उपयोग निम्नानुसार लिया जावेगा :

(ए)	एकल पाली उद्योग (केवल दिन/रात्रि हेतु)	— 8 घंटे
(बी)	निरन्तर न चलने वाला प्रसंस्करण उद्योग (दिन तथा रात्रि हेतु)	— 20 घंटे
(सी)	निरंतर चलने वाला प्रसंस्करण उद्योग	— 24 घंटे
(डी)	(i) गैर—घरेलू (सामान्य), रेस्टॉरेंट सम्मिलित कर	— 12 घंटे
	(ii) होटल, अस्पताल, अतिथि—गृह	— 20 घंटे
(ई)	घरेलू	— 8 घंटे
(एफ)	कृषि	— 6 घंटे
(जी)	जल—प्रदाय संयंत्र	— 8 घंटे
(एच)	पथ—प्रकाश	— 12 घंटे

F — भार कारक (लोड फेक्टर) है जिसका कि विभिन्न श्रेणियों हेतु उपयोग निम्नानुसार लिया जावेगा :

(ए)	औद्योगिक	– 60 प्रतिशत
(बी)	गैर–औद्योगिक	– 60 प्रतिशत
(सी)	घरेलू	– 40 प्रतिशत
(डी)	कृषि	– 100 प्रतिशत
(ई)	सीधी की जा रही चोरी	– 100 प्रतिशत

10. (अ) 2.3.2 यूनिटों के आकलन के प्रयोजन से वास्तविक घरेलू उपयोग हेतु घरेलू वाटर–पंप, माईक्रोवेव ओवन, धुलाई मशीनें तथा लघु घरेलू उपकरणों का उपयोग किया जाना 100 प्रतिशत लोड फेक्टर पर एक घंटा चालन प्रति दिवस से अधिक नहीं माना जावेगा ।

10 (अ) 2.3.3 विद्युत चोरी के प्रकरणों में अस्थाई संयोजनों हेतु, ऊर्जा का आकलन किया जाना

किसी अस्थाई संयोजन के प्रकरण में, विद्युत की चोरी हेतु खपत किये गये यूनिटों का आकलन निम्न सूत्र के अनुसार किया जावेगा :

निर्धारित किये गये यूनिटों की संख्या = **L x D x H.** जहां कि

L = भार (निरीक्षण के समय संयोजित पाया गया भार) किलोवाट में,

D = दिवसों की संख्या, जिन हेतु विद्युत प्रदाय का उपयोग किया गया है, तथा

H = कृषि संयोजनों हेतु 6 घंटे तथा अन्य उपयोग हेतु 12 घंटे लिया जावेगा ।

10 (अ) 2.4 प्राधिकृत अधिकारी इस प्रकार की गई बिलिंग की अवधि को कम कर सकेगा यदि स्थल पर उक्त व्यक्ति द्वारा कथित तथ्यों द्वारा अथवा इस प्रकार के किसी अन्य साक्ष्य द्वारा जिसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रिकार्ड कर लिया गया हो, द्वारा यह प्रमणित हो जावे । प्राधिकृत अधिकारी विद्युत चोरी संबंधी बिलिंग की अवधि में कमी किये जाने के कारणों को प्रावधिक निर्धारण आदेश में अभिलिखित करेगा । यदि वह अवधि, जिस हेतु निर्धारण किया गया है, के संबंध में उक्त व्यक्ति द्वारा प्रभार, यदि कोई लागू हो, का भुगतान कर दिया जाता है, को यदि इसे प्रमाणित किया गया हो, ऐसी अवधि हेतु बिलिंग की पुनरावृत्ति को रोके जाने की दृष्टि से, इसे यथोचित रूप से समायोजित कर दिया जावेगा।

10 (अ) 2.5 प्राधिकृत अधिकारी, कथित व्यक्ति को, जिसके द्वारा विद्युत चोरी किया जाना सुस्थित हो गया हो, प्रभारों का एक प्रावधिक निर्धारण आदेश दस दिवस के अन्दर तामील करेगा । विद्युत चोरी संबंधी प्रावधिक निर्धारण आदेश में स्पष्ट रूप से, समय, तिथि तथा स्थान जहां इसका उत्तर प्रस्तुत किया जाना है तथा अधिकारी का पदनाम/पता जिसे यह प्रेषित किया जाना है, दर्शाया जावेगा । कथित व्यक्ति विद्युत की चोरी के संबध में प्रावधिक निर्धारण आदेश के विरूद्ध प्राधिकृत अधिकारी को अभ्यावेदन कर सकेगा । कथित व्यक्ति, अपने स्वयं के अभ्यावेदन में प्रभारों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से इनका खण्डन करने के कारणों के समर्थन में औचित्य तथा साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेगा । कथित व्यक्ति को अपना स्वयं का अभ्यावेदन, प्रावधिक आदेश जारी होने से सात दिवस के अन्दर, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कंपनी, विद्युत की चोरी के संबंध में प्रावधिक आदेश पारित किये जाने हेतु, एक मानक प्रपत्र तैयार करेगी तथा इसे एक अभिज्ञापन क्रमांक दिया जावेगा ताकि, ऐसे समस्त आदेश पारित होने पर इनका लेखांकन सुनिश्चित किया जा सके ।

10 (अ) 2.6 कथित व्यक्ति द्वारा विद्युत की चोरी के संबंध में प्रावधिक आदेश पर निर्दिष्ट समय–सीमा में प्रत्युत्तर प्रस्तुत न किये जाने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी प्रावधिक निर्धारण आदेश के अनुसार बकाया राशि की वसूली के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु पहल कर सकेगा ।

10 (अ) 2.7 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वैयक्तिक सुनवाई – विद्युत की चोरी के संबंध में अन्तिम निर्धारण आदेश जारी किया जाना

10 (अ) 2.8 कथित व्यक्ति द्वारा उत्तर प्रस्तुत करने के सात कार्यालयीन दिवसों के भीतर, प्राधिकृत अधिकारी कथित व्यक्ति अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के साथ एक वैयक्तिक सुनवाई आयोजित करेगा । इस प्रयोजन हेतु, प्राधिकृत अधिकारी कथित व्यक्ति को उसकी वैयक्तिक सुनवाई हेतु तीन दिवस के नोटिस की तामील करेगा तथा वह उक्त व्यक्ति द्वारा सुनवाई के दौरान नवीन तथ्यों/अभिलेखों को यदि कोई हो, की अतिरिक्त प्रस्तुति को अनुज्ञेय कर सकेगा । यदि कथित व्यक्ति, इस विषय में तामील किये गये नोटिस बाबत् कोई प्रत्युत्तर नहीं देवे तो ऐसी दशा में प्राधिकृत अधिकारी परिसर के अन्तिम निर्धारण आदेश जारी करने की कार्यवाही इसके आगे विनिर्दिष्ट की गई प्रक्रियानुसार करेगा ।

10 (अ) 2.9 वैयक्तिक सुनवाई से पूर्व, अनुज्ञप्तिधारी का प्राधिकृत अधिकारी जिसके समक्ष वैयक्तिक सुनवाई संचालित की जावेगी, समस्त अभिलेखों पर सावधानीपूर्वक विचार कर प्रकरण का विश्लेषण, परिसर के कथित व्यक्ति अथवा अधिवासी द्वारा दी गई प्रस्तुतियों, तथ्यात्मक अभिलेखों तथा खपत का प्रकार, जहां कहीं से भी ये उपलब्ध हों, पर विचार–विमर्श द्वारा करेगा ।

10 (अ) 2.10 वैयक्तिक सुनवाई के दौरान, अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत अधिकारी, द्वारा परिसर के कथित व्यक्ति अथवा अधिवासी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर यथोचित विचार–विमर्श किया जावेगा तथा वह सात दिवस के अन्दर एक अन्तिम निर्धारण आदेश पारित करेगा कि विद्युत की चोरी बाबत् चोरी का प्रकरण सुस्थित किया जा सकता है अथवा नहीं । विद्युत की चोरी बाबत् अन्तिम निर्धारण आदेश में निरीक्षण प्रतिवेदन की संक्षेपिका, परिसर के कथित व्यक्ति अथवा अधिवासी व्यक्ति के लिखित प्रत्युत्तर तथा वैयक्तिक सुनवाई में दी गई प्रस्तुतियां तथा उन्हें स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के कारणों को दर्शाया जावेगा । इसमें निर्धारित प्रभारों के विवरण भी दर्शाये जावेंगे ।

10 (अ) 2.11 पारित निर्णय में चोरी संबंधी प्रकरण संस्थित न पाये जाने पर, आगे किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जावेगी ।

10 (अ) 2.12 विद्युत की चोरी संबंधी प्रकरण संस्थित हो जाने की दशा में, प्राधिकृत अधिकारी विद्युत खपत का आकलन पिछले 12 (बारह) माह हेतु अनुच्छेद 10 (अ) 2.3 में दिये गये आकलन सूत्र के अनुसार करेगा तथा विद्युत की चोरी संबंधी अन्तिम निर्धारण आदेश प्रयोज्य टैरिफ की दो गुणा दर तथा ऐसे अन्य शुल्क तथा उपकर जो कि वसूली योग्य हों के अनुसार तैयार करेगा तथा इसे अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. 371 दिनांक 21.6.04 ''नोटिस, आदेश अथवा अभिलेख सुपुर्दगी के साधन'' नियम, 2004 द्वारा निर्दिष्ट की गई प्रक्रियानुसार कथित व्यक्ति से उपयुक्त रसीद की प्राप्ति द्वारा उसकी तामील करेगा । प्राधिकृत अधिकारी ऐसी की गई बिलिंग की अवधि को कम कर सकेगा यदि कथित व्यक्ति द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत तथ्यों/अभिलेखों के आधार पर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पाये गये ऐसे किसी अन्य साक्ष्य के अनुसार यह तथ्य प्रमाणित हो जावे । प्राधिकृत अधिकारी, विद्युत की चोरी संबंधी

बिलिंग अवधि को कम किये जाने संबंधी कारणों को अन्तिम निर्धारण आदेश में अभिलिखित करेगा । प्रभारों का उक्त व्यक्ति द्वारा जिस अवधि हेतु इसे निर्धारित किया गया है का यदि भुगतान किया जा चुका हो, के प्रमाणित किये जाने पर, ऐसी अवधि हेतु बिलिंग की पुनरावृत्ति को रोके जाने की दृष्टि से, इसे यथोचित रूप से समायोजित कर दिया जावेगा ।

10 (अ) 2.13 परिसर के कथित व्यक्ति अथवा अधिवासी व्यक्ति द्वारा विद्युत की चोरी संबंधी अन्तिम निर्धारण आदेश की उचित रूप से प्राप्ति होने के सात दिवस के भीतर इसका भुगतान करना होगा ।

10 (अ) 2.14 कथित व्यक्ति द्वारा भुगतान न किये जाने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी ऐसे आदेश के परिपालन हेतु अपनी बकाया राशि की वसूली किये जाने की कार्यवाही हेतु पहल कर सकेगा तथा ऐसी अग्रिम कार्यवाही कर सकेगा जैसी कि वह अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञेय है ।

10 (अ) 2.15 विद्युत की चोरी संबंधी प्रभारों का आकलन जो कि प्राधिकारी द्वारा या तो किसी प्रावधिक निर्धारण आदेश अथवा अन्तिम निर्धारण आदेश द्वारा जारी किया गया हो, किसी उपयुक्त न्यायालय में किसी अधिनिर्णय के अन्तर्गत विचाराधीन होगा । ऐसे समस्त प्रकरणों में जहां कि विद्युत की चोरी किया जाना सुस्थित किया जा चुका हो, अनुज्ञप्तिधारी प्रकरण को किसी उपयुक्त न्यायालय में निर्णयार्थ दायर करेगा बशर्तें अपराध का अधिनियम की धारा 152 के अन्तर्गत इसमें समझौता न कर लिया गया हो ।

10 (अ) 3 निर्धारित की गई राशि के भुगतान में चूक किया जाना, विलंबित भुगतान किये जाने पर ब्याज को आरोपित किया जाना – विद्युत प्रदाय को असंयोजित किया जाना

10 (अ) 3.1 कथित व्यक्ति, जिसे कि नियमित विद्युत संयोजन प्राप्त है तथा जिसके विरूद्ध विद्युत की चोरी का प्रकरण संस्थित किया जा चुका है, के विरूद्ध विद्युत की चोरी के प्रकरण में जारी निर्धारण आदेश के अनुसार प्रभारों के भुगतान में उसके द्वारा चूक किये जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी उसे लिखित में 15 दिवस की सूचना (नोटिस) दिये जाने के पश्चात, उसका विद्युत प्रदाय असंयोजित कर सकेगा तथा तत्पश्चात् उसका मापयंत्र (मीटर) तथा सेवा लाईन हटा सकेगा ।

10 (अ) 3.2 निर्धारित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर, कथित व्यक्ति को, निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात्, निर्धारित राशि के अतिरिक्त, ब्याज की राशि, जिसकी दर प्रत्येक छमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी, भुगतान किया जाना बाध्यकारी होगा ।

10 (अ) 3.3 यदि कथित परिसर में जहां कि विद्युत की चोरी होना पाया गया है तथा जिसमें नियमित विद्युत संयोजन नहीं कराया गया है, ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तत्काल ऐसे परिसर को विद्युत प्रदाय असंयोजित किया जावेगा तथा चोरी के कारण का तत्काल निवारण किया जावेगा जिसके अनुसार अधिनियम के उपबंधों तथा प्रक्रियानुसार वितरण मेन तक लाईन/केबल/संयंत्र अथवा अवैध मीटर जिन्हें कि विद्युत की चोरी के प्रयोजन से उपयोग किया जा रहा हो, को जब्त किया जावेगा । अनुज्ञप्तिधारी तत्पश्चात विद्युत की और आगे चोरी को रोके जाने हेतु उसकी लाईन, केबल अथवा विद्युत संयंत्र को हटा सकेगा या व्यपवर्तित या परिवर्तित कर सकेगा बशर्तें इस प्रकार की गई कार्यवाही अन्य उपभोक्ताओं को

गुणवत्तायुक्त विद्युत प्रदाय दे पाने में अथवा विद्युत प्रदाय में रूकावट के कारण असुविधा में परिणत न हो । ऐसे परिसर में, विद्युत प्रदाय की पुर्नस्थापना केवल उसी दशा में की जावेगी जबकि कथित व्यक्ति द्वारा विद्युत की चोरी के अन्तर्गत आकलित प्रभारों की देय बकाया राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया हो जो कि उपयुक्त न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रकरण में अधिनिर्णय के अध्यधीन होगी तथा उसके द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर एक नियमित नवीन विद्युत संयोजन प्राप्त कर लिया गया हो ।

10 (अ) 3.4 ऐसे प्रकरणों में जहां कथित व्यक्ति द्वारा एक नियमित विद्युत संयोजन प्राप्त किया गया है तथा मापयंत्र अथवा मापयंत्र उपकरण के माध्यम से विद्युत प्रवाह न करते हुए वैकल्पिक माध्यम से (बाई–पासिंग द्वारा) विद्युत की चोरी पाई गई हो तथा कथित व्यक्ति का संयोजित विद्युत भार, पूर्ण अथवा आंशिक रूप से, सीधे लाईनों, केबल्स अथवा विद्युत संयंत्र अथवा मापयंत्र से छेड़–छाड़ एक असनिष्ठ आशय द्वारा की गई हो, तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे परिसर को विद्युत प्रदाय तत्स्थानी रूप से तत्काल असंयोजित कर दिया जावेगा तथा इसका पुर्नस्थापन केवल उसी दशा में किया जावेगा जबकि चोरी के कारण का अनुज्ञप्तिधारी के समाधान के अनुकूल निवारण कर दिया गया हो तथा कथित व्यक्ति द्वारा यह वचन दिया जावे कि विद्युत की चोरी के कारण निर्धारण आदेश द्वारा मांगे गये प्रभारों का भुगतान उसके द्वारा भविष्य में की जाने वाली खपत के साथ–साथ किया जावेगा तथा उसे अभ्यावेदन आदि प्रस्तुत करने का यथोचित अवसर विनियम में इस हेतु विनिर्दिष्ट की गई प्रक्रियानुसार प्रदान किया जावेगा ।

10 (अ) 4 **विद्युत की विपथन (Diversion), चोरी अथवा विद्युत के अनधिकृत प्रयोग अथवा विद्युत संयंत्र, विद्युत लाईनों अथवा मापयंत्र से छेड़छाड़ करने, खतरे में डालने अथवा क्षति पहुंचाने को रोकने के उपाय**

10 (अ) 4.1 विद्युत की चोरी अथवा इसके अनधिकृत उपयोग अथवा विद्युत संयंत्र, विद्युत लाईनें अथवा मीटर से छेड़छाड़ करने, उसे खतरे में डालने अथवा क्षति पहुंचाने की त्रासदी को कम करने तथा रोकथाम किये जाने की दृष्टि से इस हेतु प्रतिरोधात्मक उपाय किये जाना अत्यावश्यक है ।

10 (अ) 4.2 अनुज्ञप्तिधारी प्रतिवर्ष उसके प्रचालन क्षेत्र में कुल संयोजनों की संख्या के न्यूनतम 20 प्रतिशत मापयंत्रों (मीटरों) का निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण किये जाने की व्यवस्था करेगा ।

10 (अ) 4.3 अनुज्ञप्तिधारी प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत संयोजनों के मापयंत्रों पर चोरी–अवरोधक मापयंत्र बक्से (टेम्पर प्रूफ मीटर बॉक्स) लगाये जाने की व्यवस्था करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समस्त व्यक्तियों के परिसरों में आगामी पांच वर्षों में चोरी अवरोधक मापयंत्र बक्से स्थापित कर दिये जावें । अनुज्ञप्तिधारी इसके साथ–साथ ही सेवा प्रदाय लाईनों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा, यह सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से कि ये समीचीन है, भी करेगा तथा जहां जहां भी यह आवश्यक हो, इन्हें चोरी/मापयंत्र के बाई–पास को प्रतिबंधित किये जाने हेतु बदला जावेगा ।

10 (अ) 4.4 अनुज्ञप्तिधारी व्यक्तियों अथवा अन्य व्यक्तियों के परिसरों के नियमित निरीक्षण हेतु प्रयासों में अभिवृद्धि करेगा ताकि विद्युत की चोरी अथवा इसके अनधिकृत उपयोग अथवा विद्युत संयंत्र, विद्युत लाईनों अथवा मापयंत्र को छेड़–छाड़ करने, खतरे में डालने अथवा क्षति पहुंचाने को रोका जाना सुनिश्चित किया जा सके । कुल संयोजनों की संख्या का न्यूनतम 5 प्रतिशत का

वार्षिक निरीक्षण किया जाना होगा तथा अधिनियम की धारा 126 एवं 135 के उपबंधों को प्रभावशाली ढंग से परिपालन किया जाना होगा ।

अनुज्ञप्तिधारी के सतर्कता दल प्रत्यक्ष विद्युत चोरी के प्रकरणों को, विशेषतः चोरी उन्मुख क्षेत्रों में, प्राथमिकता देवेंगे ।

10 (अ) 4.5 अनुज्ञप्तिधारी उच्च मूल्यांकित उपभोक्ताओं के नियमित मासिक अनुवीक्षण (मानिटरिंग) हेतु एक प्रणाली विकसित करेगा तथा इसे तीन माह में लागू करेगा जिनमें समस्त उच्च–दाब संयोजन तथा निम्न–दाब संयोजन, जिनकी संविदा मांग 25 अश्वशक्ति तथा इससे अधिक हो सम्मिलित होंगे । विद्युत खपत में किसी प्रकार के उतार–चढ़ाव का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जावेगा । अनुज्ञप्तिधारी संदिग्ध प्रकरणों के तत्काल निरीक्षण किये जाने की भी व्यवस्था करेगा ।

10 (अ) 4.6 अनुज्ञप्तिधारी प्रथम चरण में, 33 केवी तथा 11 केवी फीडरवार तथा 33/11 केवी उपकेन्द्रवार हानियों का मूल्यांकन राज्य के बड़े शहरों, जैसे कि भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा तथा सागर हेतु सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था करेगा । द्वितीय चरण में, जिला मुख्यालय नगरों के समस्त 33 केवी तथा 11 केवी फीडरों तथा 33/11 केवी उपकेन्द्रों की हानियों का मूल्यांकन तथा तत्पश्चात् इनके अन्य क्षेत्रों हेतु ऐसा ही मूल्यांकन किया जावेगा । अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त रीति द्वारा चिन्हित किये गये क्षेत्रों में हानियां कम किये जाने की दिशा में उचित कदम उठायेगा ।

10 (अ) 4.7 अनुज्ञप्तिधारी समस्त वितरण ट्रांसफार्मरों पर मापयंत्र (मीटर) अधिष्ठापित करेगा तथा स्थानीयकृत उच्च हानि क्षेत्रों को चिन्हांकित किये जाने की दृष्टि से ऊर्जा अंकेक्षण करेगा तथा ऐसे क्षेत्रों में हानियां कम किये जाने हेतु उचित कार्यवाही करेगा ।

10 (अ) 4.8 अनुज्ञप्तिधारी, खपत के अनुवीक्षण तथा विद्युत की चोरी को नियंत्रित किये जाने की दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर समस्त उच्च–दाब संयोजनों पर सुदूर मापयंत्र (रीमोट मीटरींग) जैसे साधन अधिष्ठापित किये जाने के प्रयास करेगा । अनुज्ञप्तिधारी तत्पश्चात समस्त उच्च मूल्यांकित निम्न–दाब संयोजनों पर भी सुदूर मापयंत्र जैसे साधन अधिष्ठापित किये जाने के प्रयास भी करेगा ।

10 (अ) 4.9 अनुज्ञप्तिधारी प्रचार–प्रसार माध्यमों, टेलीविजन तथा समाचार–पत्रों के माध्यम से वाणिज्यिक हानियों के स्तर तथा इसके ईमानदार उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के बारे में जागरूकता लाये जाने की दृष्टि से यथोचित प्रचार की व्यवस्था करेगा तथा विद्युत चोरी की रोकथाम अथवा विद्युत के अनधिकृत उपयोग अथवा विद्युत संयंत्र, विद्युत लाईनें अथवा मापयंत्र से छेड़छाड़ करने, खतने में डालने अथवा क्षति पहुंचाने को रोकने के उपायों हेतु सहयोग प्राप्त करेगा । अनुज्ञप्तिधारी उसके उपभोक्ता सेवा संबंधी कार्यालयों पर उपरोक्त से संबंधित जानकारी प्रदर्शन करने वाले फलक भी स्थापित करेगा ।

10 (अ) 4.10 अनुज्ञप्तिधारी कंपनीवार, क्षेत्रवार, वृत्तवार, संभागवार, जिला–मुख्यालयवार, उपकेन्द्रवार तथा फीडरवार हानियों, विद्युत संयंत्र, विद्युत लाइनों अथवा मापयंत्र से विद्युत की विपथन, चोरी अथवा अनधिकृत उपयोग अथवा इनसे छेड़–छाड़ करने, इन्हें खतरे में डालने अथवा क्षति पहुंचाने को रोकने के उपायों के संबंध में किये गये प्रयासों को तथा इनके द्वारा वर्ष के दौरान प्राप्त परिणामों को नियमित मासिक आधार पर उसकी वैबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने की व्यवस्था करेगा ।

10 (अ) 4.11 अनुज्ञप्तिधारी प्राधिकृत अधिकारियों को उनकी सुरक्षा हेतु अपेक्षित सुरक्षा बल प्रदान किये जाने संबंधी व्यवस्था करेगा तथा ऐसे उद्देश्य से किये गये व्ययों को अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक राजस्व आवश्यकता को अन्तरित किया जावेगा । ऐसे सुरक्षा दल सदैव प्राधिकृत अधिकारियों के साथ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु उनके साथ रहेंगे ।

10 (अ) 4.12 जहां–जहां भी आवश्यकता हो, अनुज्ञप्तिधारी विद्युत चोरी उन्मुख क्षेत्रों में शिरोपरि अनावृत्त संवाहकों को केबलों द्वारा बदल सकेंगे, ताकि अनुज्ञप्तिधारी की लाईनों से सीधे कांटा (हुक) लगाकर चोरी को प्रतिबंधित किया जा सके तथा ऐसे उद्देश्य से किये गये व्यय को अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक राजस्व आवश्यकता को अन्तरित किया जावेगा ।

10 (अ) 4.13 जहां–जहां भी आवश्यकता हो, अनुज्ञप्तिधारी चोरी उन्मुख क्षेत्रों में उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (बिना निम्न–दाब प्रणाली वाला) प्रदान कर सकेगा जिसमें लघु क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मरों का उपयोग किया जावेगा जिससे कि सीधे कांटा (हुक) लगाकर चोरी को प्रतिबंधित किया जा सके तथा ऐसे उद्देश्य से किये गये व्यय को अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक राजस्व आवश्यकता को अन्तरित किया जावेगा ।

10 (अ) 4.14 अनुज्ञप्तिधारी विद्यमान उपभोक्ताओं के मापयंत्रो (मीटरों) की पुर्नस्थापना किसी उपवयुक्त स्थल पर किये जाने हेतु प्राधिकृत होगा ताकि इसका स्पष्टतः अवलोकन किया जा सके तथा इसका वाचन परिसर में बाहर से परन्तु अहाते के अन्दर से पढ़ा जा सके तथा इस स्थान पर वाचन, परीक्षण / जांच तथा संबंधित कार्यों हेतु आसानी से पहुंचा जा सके । ऐसे संदिग्ध प्रकरणों में जहां निरंतर चौकसी किया जाना संभव न हो, अनुज्ञप्तिधारी अपने खंभों (पोल) / फीडर स्तंभों पर जांच मापयंत्र (चेक मीटर) स्थापित कर सकेगा । जहां पर विद्युत की चोरी सुस्थित हो जाती है, चोरी पाये जाने के बाद की अवधि हेतु, अनुज्ञप्तिधारी अपने खम्भों / फीडर स्तंभों पर ऐसे संयोजनों हेतु बिलिंग मापयंत्र (मीटर) स्थापित कर सकेगा ।

10 (अ) 4.15 ऐसे समस्त प्रकरणों में जहां विद्युत की चोरी किये जाने का पता लगा हो, वहां पर उनका अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथक से अनुवीक्षण किया जावेगा जिसका कि निर्धारित की गई राशि तथा भविष्य में की जाने वाली खपत से संबंधित देयकों की वसूली बाबत् संक्षिप्त प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत किया जावेगा ।

10 (अ) 4.16 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, ऐसे प्रकरणों की सूची जहां विद्युत की चोरी के बारे में पता चला हो, संधारित की जावेगी । अनुज्ञप्तिधारी ऐसे प्रकरणों की सूची, जहां चोरी के द्वितीय अपराध तथा अनुवर्ती अपराध किये गये हों, स्पष्ट रूप से चिन्हित किये जाने की दृष्टि से भी संधारित करेगा तथा इनमें वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा ।''

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उप सचिव